राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (T-78) अलेसे– I/9861-62 दिनांकः– 2/11/15

श्री ताराचन्द रैगर,

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

मानसरोवर, जयपुर (शहर)

विषयः– लेखा संबंधी कार्य के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, द्वारा बाल अधिकारिता/बाल संरक्षण इकाई आदि कार्यालयों का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में समायोजन कर दिया गया है। उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर शहर द्वारा इस विभाग को अवगत कराया गया है कि आपके कार्यालय का समायोजन उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हो जाने पर भी आप द्वारा उक्त कार्यालय का लेखा संबंधी कार्य यथा छात्रवृत्ति/बजट/मासिक व्यय रिपोर्ट/कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण/चयनित वेतनमान/ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना इत्यादि कार्यो का सम्पादन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्य शीघ्र प्रारंभ करे, अन्यथा निर्देशों की अवहेलना के लिए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवही प्रारंभ कर दी जावेगी।

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

क्रमांकः– एफ.2 (क) (T-78) अलेसे– I/9861-62 दिनांकः– 2-11-15

प्रतिलिपी– उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मानसरोवर जयपुर (शहर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)